महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226007

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

निपुण भारत

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, **ई-मेल:** upefaspo@gmail.com **दूरभाष:** 0522-4024440, 2780384, 2781128

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः **गुण0वि0 / शिक्षक संकुल बजट /** 3911 **/2026–27** दिनांक : 20.8 **2026**

विषयः **न्याय पंचायत स्तर पर गठित 'शिक्षक संकुल' द्वारा शिक्षकों की मासिक बैठक के आयोजन हेतु धनराशि प्रेषण विषयक।**

महोदय / महोदया,

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या–123 / 68–5–2020 दिनांक 17 मार्च, 2020 एवं शासनादेश संख्या–566 / 68–5–2020 दिनांक 23 जून, 2020 द्वारा विद्यालयों को बेहतर प्रदर्शन में सहयोग प्रदान किये जाने तथा न्याय पंचायत स्तर पर विद्यालयों / ब्लॉक / जनपदीय कार्यालयों के मध्य सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु 'शिक्षक संकुल' का गठन किया गया है। तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक–गुण०वि० / शिक्षक संकुल / 3966 / 2020–21 दिनांक 07 सितम्बर, 2020 द्वारा गुणवत्ता शिक्षा संवर्द्धन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के सुचारू संचालनार्थ 'शिक्षक संकुल' के कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण करते हुये 'शिक्षक संकुल' को न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

2– 'निपुण भारत मिशन' के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में "निपुण भारत मिशन" के प्रभावी कियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या–I / 1399412 / 2026, 68–5099 / 497 / 2024–अनुभाग–5(बेसिक शिक्षा) दिनांक 17 जुलाई, 2026 द्वारा निपुण भारत मिशन का परिषदीय विद्यालयों में कक्षा–5 तक विस्तारीकरण करते हुये कक्षावार एवं विषयवार 'लक्ष्य' निर्धारित किये गये हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। तत्क्रम में एजेण्डा आधारित मासिक शिक्षक संकुल की बैठकों हेतु सुसंगत निर्देश निर्गत किये जाते हैं।

3– समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026–27 में पी0ए0बी0, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Provisions for CRCs के उपमद Contingency Grant के अन्तर्गत प्रदत्त स्वीकृति के कम में संकुल बैठकों के गुणवत्तापूर्ण आयोजन हेतु 'शिक्षक संकुल' के रूप में चयनित शिक्षकों (05) के विद्यालयों में रू0 250/– प्रति शिक्षक संकुल की दर से संकुल के कुल 05 विद्यालयों के विद्यालय प्रबन्ध समिति के खातों में धनराशि का प्रेषण किया जाना है। शिक्षक संकुल बैठकों के आयोजन हेतु जनपदों को निम्नानुसार निर्देश एवं बजट प्रेषित किया जायेगा :–

1. शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए प्रत्येक माह के तृतीय मंगलवार को निर्धारित समय में एजेण्डा बिन्दुओं के अनुसार सुनिश्चित किया जाये।
2. संकुल स्तरीय मासिक बैठक के आयोजन से पूर्व 'शिक्षक संकुल' द्वारा एजेण्डा बिन्दुओं का परस्पर विभाजन कर यथावश्यक तैयारी की जाये, जिससे कि सत्रों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
3. शिक्षक संकुल बैठकों में रोटेशन के अनुसार समस्त शिक्षकों द्वारा प्रभावी कक्षा–शिक्षण हेतु नवाचारी टी0एल0एम0 एवं बेस्ट प्रैक्टिसेज का प्रस्तुतीकरण किया जाये। बैठकों में विभिन्न विषयों की शिक्षण विधा को प्रभावी व रूचिकर बनाने तथा संबंधित विषयों में शिक्षकों को आ रही चुनौतियों / समस्याओं पर चर्चा की जाये तथा शिक्षक समूह के माध्यम से समाधान खोजने का प्रयास किया जाये।
4. संकुल बैठकों में टीम बिल्डिंग गतिविधियों के आयोजन हेतु आवश्यक स्टेशनरी यथा–चार्ट पेपर, पेन, पेंसिल, रबर, कलर्स, फोटो कॉपी तथा आवश्यकतानुसार प्रस्तुतीकरण संबंधी सामग्री के प्रिन्ट आदि की व्यवस्था की जाये।
5. शिक्षकों को दीक्षा, पी0एम0ई0 विद्या चैनल तथा यू–ट्यूब के माध्यम से साझा किए जा रहे शैक्षणिक वीडियोज का अवलोकन, अध्ययन तथा यथावश्यकतानुसार शिक्षण में उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।
6. समस्त शिक्षकों को '**निपुण प्लस ऐप**' के माध्यम से विद्यार्थियों का आकलन किये जाने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।

7. राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत KPIs के क्रम में प्राचार्य, डायट, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), खण्ड शिक्षा अधिकारी, एस0आर0जी0, डायट मेंटर्स एवं अकादमिक रिसोर्स पर्सन (ARP) द्वारा संकुल बैठकों में प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाये।
8. समस्त शिक्षक संकुल द्वारा छात्र उपस्थिति में वृद्धि हेतु समय–समय पर डोर–टू–डोर कैम्पेन का आयोजन किया जाये। डोर–टू–डोर अभियान के दौरान शिक्षक संकुल ऐसे अभिभावकों के घर पर अवश्य भ्रमण (Home Visits) करें, जिनके बच्चे नियमित रूप से विद्यालय नहीं आ रहे हैं। शिक्षक संकुल द्वारा अभिभावकों को अपने बच्चे को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिये अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाये।
9. शिक्षक संकुल बैठकों में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हुये सम्मानित किया जाये।
10. संकुल बैठक सम्पन्न होने के उपरान्त समस्त शिक्षक संकुल द्वारा प्रेरणा ऐप पर दिये गये **डी0सी0एफ0** को भरते हुए आयोजित बैठक की सूचना से राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराया जाये।

वित्तीय प्राविधान :–

समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026–27 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में Provisions for CRCs के उपमद Contingency Grant के अन्तर्गत प्रति शिक्षक संकुल को रू0 250/– की दर से 09 माह के लिये जनपदों को **कुल धनराशि रू0 928.01250 लाख** की लिमिट निम्नांकित विवरणानुसार जारी की जायेगी :–

2026-27 Release Budget for Shikshak Sankul Monthly Meeting							
Released Head & Component Code		*Major component : Quality Interventions*					
		Sub component : Academic support through BRC/URC/CRC					
		Acitivity : Provisions for CRCs					
		Sub Activity : Contingency Grant					
		Component Code : F.01.23..02.02, Contingency Grant [UP]					
							(In lakh)
S.N.	**District**	**Recommended Budget**		**Release Budget**			**Remaining Budget**
				No. of CRC	**Rs. 1250/Month (Rs. 250*5 Shikshak Sankul)**	**Released Budget for 9 Months, Col 7= (6* 9 Months)**	
		Phy	**Fin**				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AGRA	117	29.250	117	1.46250	**13.16250**	16.08750
2	ALIGARH	123	30.750	123	1.53750	**13.83750**	16.91250
3	PRAYAGRAJ	221	55.250	221	2.76250	**24.86250**	30.38750
4	AMBEDKAR NAGAR	113	28.250	113	1.41250	**12.71250**	15.53750
5	AMETHI	99	24.750	99	1.23750	**11.13750**	13.61250
6	AURAIYA	78	19.500	78	0.97500	**8.77500**	10.72500
7	AZAMGARH	279	69.750	279	3.48750	**31.38750**	38.36250
8	BAGHPAT	47	11.750	47	0.58750	**5.28750**	6.46250
9	BAHRAICH	137	34.250	137	1.71250	**15.41250**	18.83750
10	BALLIA	164	41.000	164	2.05000	**18.45000**	22.55000
11	BALRAMPUR	102	25.500	102	1.27500	**11.47500**	14.02500
12	BANDA	72	18.000	72	0.90000	**8.10000**	9.90000
13	BARABANKI	137	34.250	137	1.71250	**15.41250**	18.83750
14	BAREILLY	146	36.500	146	1.82500	**16.42500**	20.07500
15	BASTI	140	35.000	140	1.75000	**15.75000**	19.25000
16	BHADOHI	80	20.000	80	1.00000	**9.00000**	11.00000
17	BIJNOR	131	32.750	131	1.63750	**14.73750**	18.01250
18	BUDAUN	137	34.250	137	1.71250	**15.41250**	18.83750
19	BULANDSHAHR	154	38.500	154	1.92500	**17.32500**	21.17500

20	CHANDAULI	103	25.750	103	1.28750	**11.58750**	14.16250
21	CHITRAKOOT	49	12.250	49	0.61250	**5.51250**	6.73750
22	DEORIA	177	44.250	177	2.21250	**19.91250**	24.33750
23	ETAH	71	17.750	71	0.88750	**7.98750**	9.76250
24	ETAWAH	76	19.000	76	0.95000	**8.55000**	10.45000
25	AYODHYA	131	32.750	131	1.63750	**14.73750**	18.01250
26	FARRUKHABAD	88	22.000	88	1.10000	**9.90000**	12.10000
27	FATEHPUR	133	33.250	133	1.66250	**14.96250**	18.28750
28	FIROZABAD	81	20.250	81	1.01250	**9.11250**	11.13750
29	GAUTAM BUDDHA NAGAR	37	9.250	37	0.46250	**4.16250**	5.08750
30	GHAZIABAD	26	6.500	26	0.32500	**2.92500**	3.57500
31	GHAZIPUR	194	48.500	194	2.42500	**21.82500**	26.67500
32	GONDA	167	41.750	167	2.08750	**18.78750**	22.96250
33	GORAKHPUR	192	48.000	192	2.40000	**21.60000**	26.40000
34	HAMIRPUR	60	15.000	60	0.75000	**6.75000**	8.25000
35	HAPUR	49	12.250	49	0.61250	**5.51250**	6.73750
36	HARDOI	192	48.000	192	2.40000	**21.60000**	26.40000
37	HATHRAS	65	16.250	65	0.81250	**7.31250**	8.93750
38	JALAUN	82	20.500	82	1.02500	**9.22500**	11.27500
39	JAUNPUR	219	54.750	219	2.73750	**24.63750**	30.11250
40	JHANSI	66	16.500	66	0.82500	**7.42500**	9.07500
41	AMROHA	49	12.250	49	0.61250	**5.51250**	6.73750
42	KANNAUJ	82	20.500	82	1.02500	**9.22500**	11.27500
43	KANPUR DEHAT	110	27.500	110	1.37500	**12.37500**	15.12500
44	KANPUR NAGAR	97	24.250	97	1.21250	**10.91250**	13.33750
45	KASGANJ	78	19.500	78	0.97500	**8.77500**	10.72500
46	KAUSHAMBI	85	21.250	85	1.06250	**9.56250**	11.68750
47	LAKHIMPUR KHERI	157	39.250	157	1.96250	**17.66250**	21.58750
48	KUSHI NAGAR	142	35.500	142	1.77500	**15.97500**	19.52500
49	LALITPUR	49	12.250	49	0.61250	**5.51250**	6.73750
50	LUCKNOW	117	29.250	117	1.46250	**13.16250**	16.08750
51	MAHARAJGANJ	103	25.750	103	1.28750	**11.58750**	14.16250
52	MAHOBA	40	10.000	40	0.50000	**4.50000**	5.50000
53	MAINPURI	81	20.250	81	1.01250	**9.11250**	11.13750
54	MATHURA	90	22.500	90	1.12500	**10.12500**	12.37500
55	MAU	93	23.250	93	1.16250	**10.46250**	12.78750
56	MEERUT	95	23.750	95	1.18750	**10.68750**	13.06250
57	MIRZAPUR	106	26.500	106	1.32500	**11.92500**	14.57500
58	MORADABAD	60	15.000	60	0.75000	**6.75000**	8.25000
59	MUZAFFARNAGAR	75	18.750	75	0.93750	**8.43750**	10.31250
60	PILIBHIT	79	19.750	79	0.98750	**8.88750**	10.86250
61	PRATAPGARH	172	43.000	172	2.15000	**19.35000**	23.65000
62	RAE BARELI	156	39.000	156	1.95000	**17.55000**	21.45000
63	RAMPUR	76	19.000	76	0.95000	**8.55000**	10.45000
64	SAHARANPUR	115	28.750	115	1.43750	**12.93750**	15.81250
65	SAMBHAL	65	16.250	65	0.81250	**7.31250**	8.93750
66	SANT KABIR NAGAR	85	21.250	85	1.06250	**9.56250**	11.68750
67	SHAHJAHANPUR	123	30.750	123	1.53750	**13.83750**	16.91250
68	SHAMLI	39	9.750	39	0.48750	**4.38750**	5.36250
69	SHRAWASTI	54	13.500	54	0.67500	**6.07500**	7.42500
70	SIDDHARTH NAGAR	154	38.500	154	1.92500	**17.32500**	21.17500
71	SITAPUR	220	55.000	220	2.75000	**24.75000**	30.25000

72	SONBHADRA	68	17.000	68	0.85000	**7.65000**	9.35000
73	SULTANPUR	114	28.500	114	1.42500	**12.82500**	15.67500
74	UNNAO	175	43.750	175	2.18750	**19.68750**	24.06250
75	VARANASI	110	27.500	110	1.37500	**12.37500**	15.12500
	Grand Total	**8249**	**2062.250**	**8249**	**103.11250**	**928.01250**	**1134.238**

उक्त धनराशि संबंधी लिमिट निम्नांकित निर्देशों के अधीन जारी की जायेगी :–

1. **धनराशि का प्रेषण एवं व्यय SNA-SPARSH पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।**
2. निर्गत की जाने वाली धनराशि **तीन दिवस के अंदर** विद्यालयों के एस0एम0सी0 खाते में अन्तरित की जायेगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा निरन्तर अनुश्रवण करते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्गत धनराशि का विद्यालय स्तर पर सम्यक् सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।
3. जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जायेगी, उसी मद में व्यय की जायेगी। मद विचलन मान्य नहीं होगा। इसके लिये भुगतान करते समय बजट शीट में अंकित PFMS Component Code एवं गतिविधि का चयन सावधानी पूर्वक किया जायेगा तथा उल्लिखित मद से ही भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रेषित की जा रही धनराशि का व्यय प्रबन्ध पोर्टल में Provisions for CRCs के उपमद Contingency Grant के अन्तर्गत प्रेषित धनराशि के व्यय का विवरण अंकित किया जायेगा।
5. 'शिक्षक संकुल' के रूप में चयनित शिक्षकों (05) के विद्यालयों में रू0 250/– प्रति 'शिक्षक संकुल' की दर से संकुल के कुल 05 विद्यालयों के विद्यालय प्रबन्ध समिति के खातों में धनराशि का प्रेषण किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का उपभोग अवमुक्त धनराशि के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत बजट के अतिरिक्त देयताओं का सृजन करना वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
7. उक्त धनराशि आवर्तक मद (Recurring Head) के अन्तर्गत निर्गत की जायेगी। अवमुक्त धनराशि का व्यय वित्तीय नियमानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में मासिक बैठकों के आयोजन हेतु निर्देशानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार निर्देशों का समयबद्ध एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीया,

19/8/26

(मोनिका रानी)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0 सं0: गुण0वि0/शिक्षक संकुल बजट/ 3911 /2026–27 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0।
5. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
7. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त एवं लेखाधिकारी/सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
9. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
10. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) एवं जिला समन्वयक (निपुण भारत मिशन), समग्र शिक्षा, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

19/8/26

(मोनिका रानी)
राज्य परियोजना निदेशक